



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26112022-240598
CG-DL-E-26112022-240598

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 755]
No. 755]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 25, 2022/अग्रहायण 4, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 25, 2022/AGRAHAYANA 4, 1944

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 846(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिये प्रारूप नियम, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में, भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग), की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 670 (अ) दिनांक 29 सितंबर, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, जिसमें उक्त अधिसूचना में ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तिथि से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गयी थी, पंद्रह दिनों की अवधि के समाप्त होने से पहले, आक्षेप या सुझावों को आमंत्रित करने के लिये जनसाधारण को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को तारीख 29 सितंबर, 2021 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया गया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी (दूसरा संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 9 के उपनियम (3) में, खंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह कि अनुज्ञप्ति अधिकारी अपना यह समाधान करने के लिए कि उस परिसर में, जहां कीटनाशी का विनिर्माण किया जाना प्रस्तावित है, आवश्यक संयंत्र और मशीनरी, सुरक्षा युक्तियां और प्राथमिक सहायता तथा वैसी ही सुविधाएं विद्यमान हैं, अनुज्ञप्ति पर अतिरिक्त कीटनाशी के पृष्ठांकन की तारीख से छह मास के भीतर विनिर्माण परिसर का निरीक्षण करेगा।”;

3. उक्त नियमों के नियम 10घ के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“10(ङ) ई-वाणिज्य इकाई के माध्यम से कीटनाशी का विक्रय:

अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति के चालू रहने के दौरान किसानों के द्वार तक कीटनाशियों की आपूर्तियों के लिए ई-वाणिज्य इकाई के माध्यम से किसी कीटनाशी का विक्रय कर सकेगा और अनुज्ञप्तिधारी इस अधिनियम और उसके अधीन तत्समय प्रवृत्त होने के लिए बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन करेगा:

परंतु ई-वाणिज्य इकाई के प्रचालक आनलाइन पोर्टल के माध्यम से कीटनाशी के विक्रय के लिए अनुज्ञप्ति का उपयोग करने से पहले राज्य के संबद्ध अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता का सत्यापन करेंगे:

परंतु और यह कि ई-वाणिज्य इकाई के प्रचालक और अनुज्ञप्तिधारी भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 462(अ), 23 जुलाई, 2020 द्वारा अधिसूचित उपभोक्ता संरक्षण (ई-वाणिज्य) नियम, 2020 और अतिरिक्त पश्चातवर्ती संशोधनों (यदि कोई हों) के उपबंधों का अनुपालन करेंगे।”

4. उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम (3) के खंड (iii) में, “कृषि या विज्ञान में स्नातक” शब्दों के बाद, “या जीवन विज्ञान में स्नातक” शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 13035/10/2021-पीपी-1]

डा. प्रमोद कुमार मेहेरदा, अपर सचिव (पीपी)

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 1650(अ), तारीख 19 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संशोधित किए गए थे:

1. सा.का.नि. 474 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 1976,
2. सा.का.नि. 736 (अ), दिनांक 9 दिसंबर, 1977,
3. सा.का.नि. 1064 (अ), दिनांक 7 नवंबर, 1988,
4. सा.का.नि. 533 (अ), दिनांक 6 अगस्त, 1993,
5. सा.का.नि. 371 (अ), दिनांक 20 मई, 1999,
6. सा.का.नि. 372 (अ), दिनांक 20 मई, 1999,
7. सा.का.नि. 586 (अ), दिनांक 12 अगस्त, 1999,
8. सा.का.नि. 548 (अ), दिनांक 12 सितंबर, 2006,
9. सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 7 नवंबर, 2006,

10. सा.का.नि. 128 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2009,
11. सा.का.नि. 174 (अ), दिनांक 5 मार्च, 2010,
12. सा.का.नि. 474 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 2013,
13. सा.का.नि. 797 (अ), दिनांक 13 नवंबर, 2014,
14. सा.का.नि. 840 (अ), दिनांक 5 नवंबर, 2015,
15. सा.का.नि. 164 (अ), दिनांक 15 फरवरी, 2016,
16. सा.का.नि. 794 (अ), दिनांक 12 अगस्त, 2016,
17. सा.का.नि. 79 (अ), दिनांक 27 जनवरी, 2017,
18. सा.का.नि. 106 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2017,
19. सा.का.नि. 1229 (अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2017,
20. सा.का.नि. 1588 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017
21. सा.का.नि. 399 (अ), दिनांक 20 अप्रैल, 2018,
22. सा.का.नि. 1204 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2018
23. सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 4 जनवरी, 2019,
24. सा.का.नि. 535 (अ) दिनांक 30 जुलाई, 2019
25. सा.का.नि. 782 (अ) दिनांक 14 अक्टूबर, 2019,
26. सा.का.नि. 07 (अ) दिनांक 2 जनवरी, 2020,
27. सा.का.नि. 355 (अ) दिनांक 5 जून, 2020
28. सा.का.नि. 805 (अ) दिनांक 30 दिसंबर 2020,
29. सा.का.नि. 620 (अ) दिनांक 08 सितंबर 2021 और
30. सा.का.नि. 39 (अ) दिनांक 24 जनवरी, 2022 ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2022

G.S.R. 846(E).—Whereas the draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, was published, as required by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (Department of Agriculture and Farmers Welfare) number G.S.R. 670 (E), dated the 29th September, 2021, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section-3, sub-section (i), inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of a period of fifteen days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published were made available to the public;

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 29th September, 2021;

And whereas, objections or suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, namely :-

1. Short title and Commencement: (1) These Rules may be called the Insecticides (Second Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 9, in sub-rule (3), after clause (iii), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the licensing officer shall inspect the manufacturing premises within six months from the date of endorsement of additional insecticide on license to satisfy itself that necessary plant and machinery, safety devices and first aid facilities and the like, exist in the premises where insecticide is proposed to be manufactured.”;

3. In the said rules, after rule 10D, the following rule shall be inserted, namely:-

“10(E) Sale of Insecticides through e-commerce entity

A licensee, during the currency of license, may undertake sale of any insecticide through e-commerce entity for supply of insecticides to the door step of the farmers and the licensee shall comply with the provisions of the Act and the rules made there under for the time being in force:

Provided that the operators of e-commerce entity before engaging the licensee for sale of insecticide through online portal, shall verify the validity of the licence issued by the concerned Licensing Officer of the State:

Provided further that the operators of e-commerce entity and licensee shall comply with the provisions of the Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020 notified in the Gazette of India vide G.S.R No. 462(E) dated 23rd July, 2020 and further subsequent amendments (if any).”

4. In the said rules, in rule 10, in sub-rule 3A, in clause (iii), after words a “graduate in Agriculture or Science”, the words “or in Life Science” shall be inserted.

[F. No. 13035/10/2021-PP-I]

DR. PRAMOD KUMAR MEHERDA, Addl. Secy. (PP)

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended vide:-

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 586 (E), dated 12th August, 1999,
8. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006,
9. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
10. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
11. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010,
12. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013,
13. G.S.R. 797(E), dated 13th November, 2014,
14. G.S.R. 840(E), dated 5th November, 2015,
15. G.S.R. 164(E), dated 15th February, 2016,
16. G.S.R. 794 (E), dated 12th August, 2016,

17. G.S.R.79(E), dated 27th January, 2017,
18. G.S.R. 106(E), dated 1st February, 2017,
19. G.S.R. 1229(E), dated 4th October, 2017,
20. G.S.R. 1588(E), dated 22nd December, 2017,
21. G.S.R. 399(E), dated 20th April, 2018,
22. G.S.R.1204 (E), dated 13th December, 2018,
23. G.S.R.11(E), dated 4th January, 2019,
24. G.S.R. 535(E) dated 30th July, 2019,
25. G.S.R. 782(E) dated 14th October, 2019,
26. G.S.R. 07(E) dated 2nd January, 2020,
27. G. S. R. 355(E) dated 5th June, 2020,
28. G .S .R 805(E) dated 30th December 2020,
29. G.S.R 620(E) dated 08th September 2021 and
30. G .S .R 39(E) dated 24th January 2022.